

ऑनलाइन
साक्षात्कार पत्र के निर्देशों
का अत्यंत सावधानीपूर्वक
अध्ययन कर व उन्हें
भली-भांति समझने के
पश्चात आयोग की वेबसाइट
पर उपलब्ध समस्त प्रपत्रों का
प्रिंट निकालकर आवश्यक
जानकारियों की प्रविष्टि कर
साक्षात्कार के समय प्रस्तुत
करें।



प्रावधिक-पत्र
विज्ञापन की शर्तों के
अधीन

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर

शंकर नगर मार्ग, रायपुर -492001

फोन नं. -0771-2439562, 2446556 (फैक्स), वेबसाइट-www.psc.cg.gov.in

क्रमांक 559 /06/चयन/2020

दिनांक 24/08/2020

साक्षात्कार-पत्र

ग्रंथपाल (उच्च शिक्षा विभाग)

महोदय/महोदया,

ग्रंथपाल (उच्च शिक्षा विभाग) के साक्षात्कार हेतु चिन्हांकित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन साक्षात्कार तिथि के एक दिन पूर्व निर्धारित पाली प्रथम पाली- पूर्वान्ह 09.00 बजे से 12.00 बजे तक तथा द्वितीय पाली- अपरान्ह 01.00 बजे से 05.00 बजे तक किया जाकर निर्धारित तिथि को साक्षात्कार लिया जायेगा। दस्तावेजों के सत्यापन में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

2. साक्षात्कार के लिए उपरोक्तानुसार निर्धारित तिथि/समय में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। नीचे लिखे निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लें एवं आवश्यक मूल दस्तावेजों के साथ निर्धारित तिथि एवं समय पर आयोग कार्यालय में उपस्थिति दें।

2.1 सफलतापूर्वक ऑनलॉइन साक्षात्कार बुलावा पत्र एवं संलग्न चार दस्तावेज (1) जानकारी पत्रक (01 प्रति में), (2) अनुप्रमाणन-पत्र (03 प्रति में) (तीनों प्रतियों को राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित कराना अनिवार्य है।) (3) उपस्थिति पत्रक (01 प्रति में) तथा (4) व्यक्तिगत विवरण (06 प्रतियों में) डाऊनलोड कर आवश्यक प्रविष्टियां कर दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अनुप्रमाणन पत्र एवं जानकारी पत्रक महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं तथा इसमें त्रुटिपूर्ण/गलत जानकारी दिये जाने पर आपकी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकती है।

2.2 अनुप्रमाणन पत्रक के पहचान प्रमाण पत्र कॉलम में किसी राजपत्रित अधिकारी से सत्यापन (तीनों प्रतियों में) कराया जाना अनिवार्य है। (अनुप्रमाणन पत्रक की छायाप्रति स्वीकार नहीं किया जायेगा) अतः राजपत्रित अधिकारी से सत्यापन कराकर ही अनुप्रमाणन पत्रक की हार्डकॉपी तीन मूल प्रतियों में प्रस्तुत करना होगा।

2.3 ग्रंथपाल (उच्च शिक्षा विभाग) के पद के लिए आयोग द्वारा प्रसारित विज्ञापन क्रमांक 05/2019/परीक्षा/दिनांक 02.03.2019 रोजगार और नियोजन में प्रकाशन दिनांक 06.03.2019, शुद्धि पत्र क्रमांक 11/2019/परीक्षा/दिनांक 21.08.2019 के अनुसार शैक्षणिक अर्हता विज्ञापन की कंडिका (2) (A) के (iii) के अनुसार अभ्यर्थी के पास होना चाहिए। यह स्पष्ट किया जाता है कि शैक्षणिक अर्हता से संबंधित अंकसूची (सभी वर्षों के वार्षिक परीक्षा/सेमेस्टर की परीक्षा) ऑनलाईन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 04/05/2019 तक का अथवा इसके पूर्व का होना अनिवार्य है। उक्त तिथि के बाद के अंकसूची/उपाधि/प्रमाण पत्र/नवीन प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। इस संबंध में अंकसूची/उपाधि प्रमाण पत्र की मूल प्रति तथा दो-दो सत्यापित अथवा स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करें।

- 2.4 यदि आपने छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी होने एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग का होने के आधार पर आरक्षण का लाभ लेने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है, तो आवेदक को साक्षात्कार के लिये उपस्थित होने पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्राधिकृत सक्षम प्राधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व) द्वारा जारी किया गया स्थायी जाति प्रमाण पत्र, मध्यप्रदेश शासन के समय जारी किये गये प्रमाण पत्र का राज्य गठन के पश्चात् पुनर्वैधिकृत प्रमाण पत्र अथवा राज्य गठन के पश्चात् सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किए गए स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है, उक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाने पर आपको अनर्ह करते हुए साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा।
- 2.5 यदि आपने छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी होने एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) का होने के आधार पर आरक्षण का लाभ लेने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है तो राज्य गठन के पश्चात् छत्तीसगढ़ शासन के सक्षम प्राधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व) द्वारा जारी किये गये अन्य पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, परन्तु यदि आप एकीकृत मध्य प्रदेश के समय का छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाओं के अधीन जिले/अनुविभाग के द्वारा जारी किया गया "जाति प्रमाण पत्र" प्रस्तुत करते हैं तो उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त आवेदन प्रस्तुत करने के अंतिम तिथि के 03 वर्ष के भीतर का स्वयं को "गैर क्रीमीलेयर" में आने के संबंध में "आय प्रमाण पत्र" प्रस्तुत करना होगा तभी राज्य गठन के पूर्व जारी "जाति प्रमाण पत्र" (उल्लेखित अनुसार आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर) मान्य होगा। उल्लेखित अनुसार जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर आपको अनर्ह करते हुए साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा।
- 2.6 छ.ग. राज्य के गठन के पश्चात् अन्य पिछड़ा वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें (गैर क्रीमीलेयर) का होने के आधार पर छ.ग. शासन के सक्षम प्राधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी राजस्व) द्वारा स्थायी जाति प्रमाण पत्र जारी किया गया है। यदि यह जाति प्रमाण पत्र विज्ञापन में दर्शित अंतिम तिथि के 3 वर्ष पूर्व का हो, तो उन अभ्यर्थियों को भी आवेदन प्रस्तुत करने के अंतिम तिथि के 03 वर्ष के भीतर का स्वयं को गैर क्रीमीलेयर में आने के संबंध में आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 2.7 यदि आप शासकीय/अर्द्धशासकीय/गैर शासकीय/नीजि प्रतिष्ठानों में कार्यरत हैं तो नियोक्ता /सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
- 2.8 यदि आयोग द्वारा प्रसारित विज्ञापन के अनुसार आवेदन करने के पश्चात् आपके उपनाम में परिवर्तन हुआ हो तो उपनाम परिवर्तन का शपथपत्र की दो-दो सत्यापित अथवा स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करें।
- 2.9 जन्म तिथि के प्रमाण के संबंध में हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा से संबंधित मूल प्रति एवं दो-दो सत्यापित अथवा स्वप्रमाणित छायाप्रति।
- 2.10 यदि आप निःशक्तजन हैं तो शारीरिक विकलांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक हो तो चिकित्सा मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं दो-दो सत्यापित अथवा स्वप्रमाणित छायाप्रति। ग्रंथपाल पद के लिए छत्तीसगढ़ के स्थानीय/मूल निवासी निःशक्तजन (OA, OL, OAL, B, LV, HH) ही मान्य होंगे।
- 2.11 यदि आप छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी हैं तथा आपने विज्ञापन में दर्शित अनुसार अधिकतम आय सीमा में छूट क्लेम किया है तो छूट क्लेम किये जाने से संबंधित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति एवं दो-दो सत्यापित अथवा स्वप्रमाणित छायाप्रति।
- 2.12 आपके द्वारा ग्रंथपाल (उच्च शिक्षा विभाग) के लिए ऑनलाईन भरे गये आवेदन पत्र की हॉर्ड कॉपी (प्रिंटआउट) की प्रति के साथ-साथ पहचान-पत्र जैसे मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड या पेन कार्ड इनमें से कोई भी एक पहचान पत्र की मूल प्रति एवं दो-दो छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

3. यदि आप उपरोक्तानुसार जानकारी (जो लागू होता है) के साथ उपस्थित नहीं होते हैं तो आपको साक्षात्कार से वंचित किया जा सकेगा तथा आप उक्त पद हेतु वास्तव में सभी आवश्यक शर्तों की पूर्ति करते हैं अथवा नहीं, के निर्धारण करने का अधिकार आयोग का होगा एवं इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
4. साक्षात्कार के लिए यात्रा व्यय स्वयं अभ्यर्थी के द्वारा वहन की जाएगी, परन्तु छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के केवल बेरोजगार अभ्यर्थियों को उनके द्वारा बस/रेल टिकट प्रस्तुत किये जाने पर साधारण दर्जे का वास्तविक किराया राशि की पात्रता होगी।
5. विशेष टीप :- उपर्युक्त के अतिरिक्त आपको साक्षात्कार के पूर्व मूल प्रमाण पत्रों की जाँच के समय निम्नानुसार अभिलेख (साक्षात्कार हेतु प्रावधिक रूप से बुलाये जाने के फलस्वरूप), प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उपर्युक्त विषय पद हेतु आपकी उम्मीदवारी आयोग द्वारा निरस्त की जा सकेगी।
- 6.1 साक्षात्कार के पूर्व विज्ञापन के अनुसार निर्धारित अर्हता, आयु सीमा छूट क्लेम किया हो तो तत्संबंध में दस्तावेज, आरक्षित श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन हो तो निर्देश पैरा 2.3, 2.4 2.5 एवं 2.6 के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसके अभाव में आपको साक्षात्कार के लिए अनर्ह कर दिया जाएगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।
- 6.2 शैक्षणिक अर्हता से संबंधित अंक सूची (सभी वर्षों के वार्षिक परीक्षा/सेमेस्टर की परीक्षा) प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं दो-दो प्रति छायाप्रति प्रस्तुत करें।
- 6.3 यह स्पष्ट किया जाता है कि साक्षात्कार में अनुपस्थित रहने वाले आवेदकों को चयन के लिये अनर्ह माना जायेगा।
- 6.4 विज्ञापन की कंडिका 4 के अनुसार आयु की गणना 01/01/2019 से की जायेगी।
- 6.5 दस्तावेज सत्यापन के समय ग्रंथपाल (उच्च शिक्षा विभाग) के लिए ऑनलाइन आवेदन की दो प्रति जमा करना अनिवार्य है।
- 6.6 सभी दस्तावेजों की मूल प्रतियाँ एवं दो-दो छायाप्रतियाँ सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है, मूल प्रमाण पत्र के अभाव में प्रस्तुत करने के लिए कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जायेगा तथा अभ्यर्थियों से कोई वचन पत्र/अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- 6.7 नोवेल कोराना वायरस (Covid-19) के संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु आयोग कार्यालय परिसर में केवल अभ्यर्थियों को ही प्रवेश दिया जाएगा, अभ्यर्थियों के अतिरिक्त अन्य के लिए प्रवेश निषेध है। अभ्यर्थियों को फेसमास्क लगाना एवं हेंड सेनेटाईजर रखना अनिवार्य है, जो अभ्यर्थी फेसमास्क एवं हेंड सेनेटाईजर के बिना साक्षात्कार हेतु उपस्थित होगा उन्हें साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।


 24.8.2020
 परीक्षा नियंत्रक
 छ.ग. लोक सेवा आयोग
 रायपुर

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर

साक्षात्कार समय-सारिणी
ग्रंथपाल एवं क्रीडाधिकारी परीक्षा-2019

दस्तावेज सत्यापन दिनांक	साक्षात्कार दिनांक	प्रथम पाली (सुबह 9:00 बजे से)	द्वितीय पाली (दोपहर 1:00 बजे से)
क्रीडाधिकारी			
14-09-2020	15-09-2020	1905200007	1905200046
		1905200016	1905200047
		1905200020	1905200050
		1905200021	1905200059
		1905200025	1905200069
		1905200026	1905200072
		1905200027	1905200077
		1905200028	1905200079
		1905200029	1905200080
		1905200032	1905200086
		1905200034	1905200087
		1905200036	1905200092
		1905200037	1905200093
		1905200039	1905200100
15-09-2020	16-09-2020	1905200040	
		1905200106	1905200157
		1905200109	1905200159
		1905200113	1905200166
		1905200120	1905200169
		1905200127	1905200171
		1905200130	1905200174
		1905200131	1905200175
		1905200132	1905200176
		1905200135	1905200178
		1905200137	1905200179
		1905200141	1905200181
		1905200144	1905200184
		1905200145	
		1905200148	
		1905200152	

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर

साक्षात्कार समय-सारिणी
ग्रंथपाल एवं क्रीडाधिकारी परीक्षा-2019

दस्तावेज सत्यापन दिनांक	साक्षात्कार दिनांक	प्रथम पाली (सुबह 9:00 बजे से)	द्वितीय पाली (दोपहर 1:00 बजे से)
16-09-2020	17-09-2020	1905200186	1905200271
		1905200196	1905200272
		1905200201	1905200274
		1905200202	1905200275
		1905200206	1905200277
		1905200209	1905200278
		1905200223	1905200280
		1905200224	1905200281
		1905200229	1905200285
		1905200230	1905200291
		1905200231	1905200292
		1905200242	1905200298
		1905200249	
		1905200251	
		1905200258	
17-09-2020	18-09-2020	1905200302	
		1905200303	
		1905200305	
		1905200313	
		1905200318	
		1905200320	
		1905200321	
		1905200322	
		1905200328	
		1905200329	
		1905200330	
		1905200335	
		1905200337	
		1905200338	
		1905200339	

\$

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर

साक्षात्कार समय-सारिणी
ग्रंथपाल एवं क्रीडाधिकारी परीक्षा-2019

दस्तावेज सत्यापन दिनांक	साक्षात्कार दिनांक	प्रथम पाली (सुबह 9:00 बजे से)	द्वितीय पाली (दोपहर 1:00 बजे से)
ग्रंथपाल			
09-09-2020	10-09-2020	1905100001	1905100077
		1905100004	1905100079
		1905100006	1905100082
		1905100009	1905100087
		1905100012	1905100088
		1905100016	1905100093
		1905100020	1905100094
		1905100035	1905100101
		1905100039	1905100108
		1905100040	1905100113
		1905100042	1905100127
		1905100043	1905100142
		1905100051	1905100145
		1905100059	1905100150
		1905100070	1905100154
10-09-2020	11-09-2020	1905100166	1905100231
		1905100168	1905100232
		1905100169	1905100236
		1905100170	1905100237
		1905100174	1905100238
		1905100187	1905100243
		1905100189	1905100244
		1905100195	1905100248
		1905100199	1905100249
		1905100211	1905100253
		1905100218	1905100255
		1905100221	1905100257
		1905100227	1905100262
		1905100228	1905100263
		1905100230	



छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर

साक्षात्कार समय-सारिणी
ग्रंथपाल एवं क्रीडाधिकारी परीक्षा-2019

दस्तावेज सत्यापन दिनांक	साक्षात्कार दिनांक	प्रथम पाली (सुबह 9:00 बजे से)	द्वितीय पाली (दोपहर 1:00 बजे से)
11-09-2020	12-09-2020	1905100269	1905100341
		1905100274	1905100364
		1905100291	1905100368
		1905100296	1905100369
		1905100299	1905100370
		1905100301	1905100371
		1905100303	1905100378
		1905100304	1905100386
		1905100309	1905100388
		1905100312	1905100392
		1905100315	1905100394
		1905100316	1905100395
		1905100317	
		1905100325	
		1905100327	

टीप :- आयोग द्वारा साक्षात्कार बुलावा पत्र डाक के माध्यम से नहीं भेजे जाएंगे। अभ्यर्थी साक्षात्कार बुलावा पत्र एवं संलग्न दस्तावेज आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते हैं।

24.8.2020
परीक्षा नियंत्रक
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग,
रायपुर